पत्रांक 5001 / आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0कर / प्रवर्तन–अनु0 / 2012–13 / दे0दून

कार्यालय–आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(प्रवर्तन–अनुभाग)
देहरादून ::दिनांक: 27 फरवरी, 2013

विज्ञप्ति

(धारा 49(1)(क) तथा धारा 49(1)(ख) सपठित नियम 55 के अन्तर्गत)

विज्ञप्ति संख्या–4693 / आयु0क0उत्तरा0 / प्रवर्तन / 2012–13 / देहरादून, दिनांक 07 फरवरी, 2013 को विखण्डित करते हुए आदेशित किया जाता है कि –

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम–2005 की धारा 49(1)(क) तथा धारा 49(1)(ख) के अन्तर्गत एतद्द्वारा निर्धारित किया जाता है कि यदि रेल, नदी, वायुमार्ग या डाक द्वारा पारेषित किया जाता है तो आयातकर्ता तब तक उस माल को न तो छुड़ायेगा और न छुड़वायेगा जब तक कि वह अपने कर निर्धारण अधिकारी को अथवा उनके स्थान पर ऐसे अधिकारी को, जिसे इस निमित्त संबंधित सम्भाग के ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर द्वारा अधिकृत किया गया हो, विहित आयात घोषणा प्रपत्र(फार्म–XVI) अथवा आयात प्रमाण पत्र (फार्म–XVII) की मूल एवं द्वितीय प्रति में, सम्यक् रूप से भर कर, माल से सम्बन्धित बिल / चालान / इसी प्रकार का अन्य प्रपत्र एवं माल के हक का दस्तावेज सहित, पृष्ठांकन के लिए प्रस्तुत न कर दे या करवा दे और ऐसा अधिकारी ऐसे प्रपत्र को पृष्ठांकित न कर दे।

यदि उपरोक्त प्रकार के आयात के मामले में आयातकर्ता द्वारा माल छुड़वाने से पूर्व विभागीय Website http://comtax.uk.gov.in पर इस सम्बन्ध में निर्धारित फार्म–XVIII(E)(संलग्न) में सूचना / Import Declaration By Rail, River, Air or Post online submit कर दिया जाता है तो उसे कार्यालय में आकर फार्म–XVI का पृष्ठांकन कराने की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु माल छूड़ाने के उपरान्त उसके परिवहन के दौरान online submit किये गये फार्म–XVIII(E) का e-generated printout एवं संबंधित फार्म–XVI(मूल एवं द्वितीय प्रति में सम्यक् रूप से भरा हुआ), बिल / चालान अथवा इसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों को साथ लेकर चलेगा तथा धारा 48(2)(ख) सपठित नियम 26(ग)(2)(ग) के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति सं0 4997 / आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0कर / प्रवर्तन–अनु0 / 2012–13 / दे0दून दिनांक 27–02–2013 में प्राविधानित रीति एवं समयावधि में निर्धारित फार्म–XVIII(D))(संलग्न) में सूचना एवं फार्म–XVI की मूल प्रति संबंधित करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष दाखिल करेगा।

यह विज्ञप्ति दिनांक 01–03–2013 से प्रवृत्त होगी।

संलग्नकः– 1– निर्धारित "XVIII(E)" Import Declaration By Rail, River, Air or Post
2– निर्धारित "Form-XVIII(D)" Form-16 Declaration Sheet

(सौजन्या)
आयुक्त कर, उत्तरखण्ड।

पृ0प0सं0 5001 / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस इन्द्रनगर, देहरादून
3– अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
5– एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, देहरादून / कुमाऊँ जोन, रूद्रपुर।
6– ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून / हरिद्वार / काशीपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने क्षेत्र के अधिकारियों / बार एसोसियेसन / उद्योग एवं व्यापारी संगठनों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7– ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0 / प्र0) वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, हरिद्वार / कुमाऊँ जोन, रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून / हल्द्वानी।
9– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
10– श्री रोशन लाल, डि0कमि0(क0नि0)–3, देहरादून / वैब ऑफिसर को वैबसाइट पर प्रसारित करने हेतु।
11– डिप्टी कमिश्नर, (उच्च न्याय0कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।
12– मुख्यालय के संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति स्कैन करके उद्योग, व्यापार एवं बार के प्रतिनिधियों को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
13– मुख्यालय के समस्त अनुभागों को।
14– इन्टावेट ईन्फो प्रा0लि0–4, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर–13 आर0 सिंधुआ मार्ग, मुम्बई–400001।
15– नेशनल लॉ हाउस, बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग, अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद।
16– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेंट हाउस–15 / 5 राजनगर, गाजियाबाद।
17– स्वास्तिक पब्लिकेशन एसई–233, शास्त्री नगर, गाजियाबाद–201002।
18– अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
19– दी होलसेल डीलर्स एसो0, 14 आढ़त बाजार, देहरादून।
20– प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसो0, 222 / 5 गाँधी ग्राम, देहरादून।

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।